भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1095

गुरूवार, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक मित्र के रूप में गाइडों को प्रशिक्षण

1095. श्रीमती सीमा द्विवेदीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वाराणसी स्थित पौराणिक स्थलों पर घुमाने एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कितने गाइड सरकारी रूप से पंजीकृत है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या पंजीकृत गाइडों को इस कार्य के लिए किसी योजना के तहत पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन्हें बतौर "पर्यटक मित्र" प्रशिक्षित करने की सरकार को कोई योजना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड (आरएलजी) / अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) को लाइसेंस / प्रमाण पत्र जारी करता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों का मार्गदर्शन करने के लिए अधिकृत हैं। ये लाइसेंस/प्रमाण पत्र पर्यटन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा संचालित क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद जारी किए जाते हैं। ऐसे गाइड की सूची क्षेत्र-वार रखी जाती है और आज की तारीख में उत्तरी क्षेत्र में 2509 गाइड हैं, जिनमें से 749 गाइड उत्तर प्रदेश राज्य से हैं।

(ग): जी नहीं, महोदय।

****